

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 7/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06 जून 2018

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 1/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 23 फरवरी 2018, का.आ.789 (अ) दिनांक 23.02.2018 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका की क्रम सं. 19(ii) के स्तंभ सं. 3 में मौजूदा प्रविष्टि को "DRI/AZU/SRU-24/2017-Samiksha दिनांक 12.06.2017" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2018-CI(i)]

(शैलेश कुमार)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई।
2. अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), कस्टम हाउस, कोलकाता.
3. मै. समीक्षा जेवेल्स प्रा. लि., 6/2077, भू तल, कैबिन स. 1, हरीपुरा रोड, महीदरपुरा, सूरत